पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-58/2024 **दिनांक- 18.02.2024**

प्रेस- नोट

थाना रानी की सराय/मुबारकपुर

उ0प्र0 पुलिस (आरक्षी) भर्ती परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

01.थाना रानी की सराय-

दिनांक 17.02.2024 को आवेदक डा0 अनूप कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवमूर्ति सिंह ग्राम शम्भूपुर (पुरा) पोस्ट गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ,वर्तमान पता राजेन्द्र स्मारक इण्टर कालेज सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ में प्राधानाचार्य़ थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 17.02.2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में द्वितीय पाली की परीक्षा चल रही थी कि बायोमैट्रिक मिलान एवं आधार पर लगे फोटो का प्रवेश पत्र एवं उपस्थित पत्रक से मिलान किया गया तो फोटो सही नही मिला एवं बायोमैट्रिक मिलान से पता चला की अनुक्रमांक 3135984 अभ्यर्थी प्रशान्त कुमार पुत्र शिवपूजन ग्राम ढोलीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के स्थान पर राजेश कुमार यादव पुत्र सूर्य नरायन यादव पता रौआही थाना अन्धामठ जिला मधुबनी बिहार परीक्षा देते हुए पकडा गया जिसके पास से एडमिट कार्ड संख्या-3135984 ,आधार कार्ड सख्या- 940174525538, प्रश्न पुस्तिका संख्या 86082234, ओ.एम.आर. शीट संख्या-12079359 बरामद होने सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 50/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 3/6/9/10 उ0 प्र0 सार्व0 परीक्षा अधि0 पंजीकृत किया गया है।

➡ पुलिस परीक्षा 2024 के दौरान पकडे गये राजेश कुमार यादव पुत्र सूर्य नरायन यादव पता रौआही थाना अन्धामठ जिला मधुबनी बिहार को थाना स्थानीय पर समय करीब 20.20 बजे सुपुर्द किया गया।

02. थाना मुबारकपुर-

दिनांक- 17.02.2024 को साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के प्रधानाचार्य श्री संत कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 प्रेमनारायण श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला सदावर्ती अठवरिया मैदान कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि साकेत पब्लिक स्कूल गढवल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी प्रिन्स कुमार पुत्र अशोक कुमार ग्राम मसूदपुर बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के स्थान पर रत्नेश कुमार पुत्र दिलीप कुमार यादव निवासी ग्राम भवारा थाना मधुबनी कोतवाली जनपद मधुबनी बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। प्रधानाचार्य संतकुमार द्वारा अभियुक्त रत्नेश कुमार पुत्र दिलीप कुमार यादव निवासी ग्राम भवारा थाना मधुबनी कोतवाली जनपद मधुबनी को मौके पर ही मौजूद प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को सुपुर्द किया गया। प्रधानाचार्य के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि 6/10 उ0 प्र0 सार्व0 परीक्षा अधि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

थाना मुबारकपुर

चोरी की मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 15.07.2021 को वादी मुकदमा शिवकुमार यादव पुत्र सामू यादव निवासी ग्राम मुहम्मदपुर कोडरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर तहरिर दिया था कि वादी की मोटर साइकिल जीयनपुर चौराहे से समय करीब 12.48 बजे अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/2021 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 17.02.2024 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त शिवप्रसाद राम पुत्र गुन्नू राम निवासी बिहरोजपुर थाना भठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को चोरी की मोटर साइकिल के साथ सठियांव से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- शिवप्रसाद राम पुत्र गुन्नू राम निवासी बिहरोजपुर थाना भठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 मोटर साइकिल (UP50AE 7133 सुपर स्पेलेन्डर)

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 73/2024 धारा 411/414 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे, का0 अनिल कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

थाना- मेंहनगर

विवाहिता को भगाकर शादी करने व धर्म परिवर्तन कराने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 17/02/2024 को वादी मुकदमा ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की भाभी दिनांक 10-02-2024 को कहीं चली गयी थी जिसके सम्बन्ध मे गुमशुदगी दर्ज करायी थी जो वापस आ गयी है और बतायी कि मो0 नं0 9024xxxxxxx से मेरी बात होती थी जो अपना नाम सोनू सिंह बताया था इन्ही के साथ विगत दिनो से बात होती थी यह व्यक्ति मेरी भाभी को बहला फुसलाकर दिनांक 10.2.024 को नागौर भगा ले गया जब मेरी भाभी को जानकारी हुई कि 1 इरफान पुत्र बाबू खाँ निवासी जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर राजस्थान, 2.अलाऊद्दीन पुत्र लियाकत निवासी गोडा कला थाना पोण्डा जिला नागौर राजस्थान 3.मुमताज पुत्र बाबू खाँ जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर राजस्थान के द्वारा मेरी भाभी से धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया गया मेरी भाभी जब इस तथ्य को जान पायी कि यह राजपुत समाज का व्यक्ति नही है तो किसी तरह से भाग कर घर वापस आयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स. 55/24 धारा 366/419 भादवि व 3/5(1) उ0प्र0वि0वि0सं0प्र0अधि0 2021 बनाम आदि 03 नफर के पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है,

नोटः- पूर्व में वादी मुकदमा के तहरीरी सूचना दी गयी थी कि मेरी भाभी दिनांक 10-02-2024 को कहीं चली गयी है जिसके सम्बन्ध मे गुमशुदगी दर्ज की गयी थी। वादी द्वारा अपने भाभी का उम्र 24 वर्ष बताया गया था परन्तु बरामद होने के पश्चात प्रमाण पत्र के अवलोकन से वादी के भाभी/पीड़िता का उम्र 16 वर्ष पाया गया जो नाबालिग पायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 18.02.2024 को उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. इरफान पुत्र बाबु खाँ निवासी जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर राजस्थान 2 अलाउद्दीन पुत्र लीयाकत निवासी गोना कला थाना जिला नागौर राजस्थान 3 मुमताज पुत्र बाबू खाँ निवासी जाजुलाई थाना कोतवाली नगर राजस्थान को घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल के साथ समय 14.30 बजे मानपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 55/24 धारा 363/366/376/419/120B भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0वि0वि0सं0प्र0अधि0 2021 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1 इरफान पुत्र बाबू खाँ निवासी जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर राजस्थान,

2.अलाऊद्दीन पुत्र लियाकत निवासी गोडा कला थाना पोण्डा जिला नागौर राजस्थान

3.मुमताज पुत्र बाबू खाँ जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर राजस्थान

बरामदगी का विवरणः- घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह हे0 का0 धुन्न नारायण सिह व हे0 का0 नागेश्वर लाल वर्मा व हे0 का0 अनितेष सिह थाना मेंहनगर जनपद आजगमढ़ ।

प्रेस-विज्ञप्ति

उ0प्र0 (आरक्षी) भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की अचानक तबीयत खराब होने पर पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार कराया गया।

आज दिनांक-18.02.2024 को एक परीक्षार्थी/छात्रा वर्तिका यादव पुत्री कैलाश यादव निवासिनी शिवपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ जो श्री मुखराम सिंह इंटर कालेज स्थान- बेलइसा, थाना- रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 (आरक्षी) भर्ती परीक्षा देने आई थी, (द्वितीय पाली) परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की अचानक तबीयत खराब हो गयी, इसकी जानकारी मिलते ही उप-निरीक्षक विरेन्द्र यादव (थाना मेंहनगर) द्वारा एम्बुलेंस 108 को सूचना देकर तत्काल छात्रा का प्राथमिक उपचार कराया गया जिसमें चिकित्सक द्वारा स्थिति सामान्य बतायी गयी ।